रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224683
CG-DL-E-25012021-224683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 44(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम **कंपनी (निगमन)** संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में, नियम 41 में,

(क) उप-नियम (6) में,

(i) खंड (ग) में, "उप-नियम (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (6) में, खंड (घ) को विलोपित किया जाएगा;

(iii) मौजूदा उप-नियम (9), (10), (11) को क्रमश: उप-नियम (7), (8) और (9) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(ख) तद्नुरूप क्रमांकित के रूप में उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7)(i) जहां कहीं भी कोई आपत्ति प्राप्त हो गई है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आवेदन के परीक्षण के उपरांत क्षेत्रीय निदेशक ने विशेष आपत्ति की है, जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक तीस दिन की अवधि के भीतर सुनवाई अथवा सुनवाईयां करेंगे, जैसा कि अपेक्षित हो और कंपनी को सुनवाई के दौरान बनी सर्वानुमति को दर्ज करने के लिए एक शपथपत्र फाइल करने का निदेश देगा, जिसे निष्पादित करने के उपरांत, क्षेत्रीय निदेशक सुनवाई की तारीख से 30 दिन के भीतर कारणों के साथ आवेदन को या तो अनुमोदित करने या निरस्त करने संबंधी एक आदेश पारित करेगा।

(ii) यदि जहां कहीं खंड (i) में यथा संदर्भित कोई सर्वानुमति नहीं बनती है तो क्षेत्रीय निदेशक संपरिवर्तन को अनुमोदित कर सकते हैं, यदि वह मामले की सभी परिस्थितियों के संबंध में संतुष्ट है कि यह संपरिवर्तन कंपनी के हितों के विरूद्ध नहीं होगा अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा अनुपालन को टालने के मद्देनजर लिखित में कारण दर्ज करते हुए किया जा रहा है:

परंतु यह कि संपरिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि कोई जांच, निरीक्षण अथवा अन्वेषण कंपनी के विरूद्ध आरंभ कर दिया गया है या इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है।"।

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, खंड.III]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. सं. 250(अ) के जरिए प्रकाशित किए गए और तारीख 24 दिसंबर, 2020 की सा.का.नि. सं. 795(अ) के जरिए अंतिम बार संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2021

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation)** Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation)** Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in Rule 41,-

(a) in sub-rule (6),

(i) in clause (c), for the words, brackets and figure "sub-rule (6)" the words, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted;

(ii) clause (d) shall be omitted;

(iii) the existing sub-rules (9), (10), (11) shall be renumbered as sub-rules (7), (8) and (9) respectively;

(b) for sub-rule (7) as so renumbered, the following sub-rule shall be substituted with the following rule, namely:-

"(7) (i) Where an objection has been received or Regional Director on examining the application has specific objection under the provisions of the Act, the same shall be recorded in writing and the Regional Director shall hold a hearing or hearings within a period of thirty days as required and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which, the Regional Director shall pass an order either approving or rejecting the application along with the reasons within thirty days from the date of hearing.

(ii) In case where no consensus is received as referred in clause (i), the Regional Director may approve the conversion, if he is satisfied having regard to all the circumstances of the case, that the conversion would

not be against the interests of the company or is not being made with a view to contravene or to avoid complying with the provisions of the Act, with reasons to be recorded in writing:

Provided that the conversion shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.".

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.795(E) dated the 24th December, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.25 16:16:06 +05'30'